

आवंटित राजकीय भूमि पर नियमानुसार गैर खातेदार कृषक को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र

1.	प्रार्थी का नाम/पिता का नाम, जाति मय निवास का पूर्ण पता	
2.	ग्राम का नाम मय तहसील का नाम जहाँ भूमि स्थित है?	
3.	नाम अधिकारी जिसके आदेश क्रमांक व दिनांक जिसके द्वारा भूमि आवंटित की गई थी (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
4.	क्या प्रार्थी (आवेदनकर्ता) का प्रस्तावित भूमि पर कब्जा काशत है अथवा नहीं? यदि कब्जा काशत नहीं है तो पूर्ण विवरण अंकित करें।	
5.	क्या आवेदक ने नियमानुसार फीस/लगान आदि वर्तमान प्रकाशित नियमों के तहत जमा करा दिये हैं यदि हां तो प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
6.	प्रस्तावित ग्राम जे.डी.ए. सीमा में स्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है?	
7.	प्रस्तावित भूमि के बारे में न्यायालय में तो कोई वाद या स्थगन आदेश नहीं है स्पष्ट किया जावे, यदि हां तो आदेश की प्रति संलग्न करें।	

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट तहसीलदार

खातेदारी अधिकार दिनांक.....को दिये जा चुके हैं अथवा नहीं देने का कारण निम्न है:-

.....

प्रभारी अधिकारी (राजस्व) की टिप्पणी

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रार्थी को सूचित हो।

जिला कलक्टर